ई–मेल/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 9 (3)/शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता/2017 जयपुर दिनांक 18-05-2017

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता 2017–18 के टाइम फ्रेम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प. 9 (3) शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता/2017 .दिनांक 17.3.2017 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। तदुपरान्त गैर–सरकारी विद्यालयो से ऑनलाइन आवेदन लेने तथा पत्रावली को कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि क्रमशः **10 मई एवं 15 मई 2017 कर दी गयी है। इन संशोधित तिथियों के अनुक्रम में शैक्षिक सत्र 2017–18 में** मान्यता के लिए गैर–सरकारी विद्यालयों से प्राप्त सभी आवेदनों पर मान्यता दिए जाने की कार्यवाही के लिए संशोधित टाइमफ्रेम निम्नानुसार रहेगाः–

क्र. सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	सम्बन्धित कार्यालय
1	ऑनलाइन आवेदन कर सूचना लॉक करना।	10 मई 2017 तक	सम्बन्धित संस्था
2	आवेदन की हार्ड कॉपी सम्बन्धित कार्यालय में देना।	15 मई 2017 तक	सम्बन्धित संस्था
3	पत्रावलियों की ऑनलाइन जॉच एवं सत्यापन दलों का गठन	15 जून 2017 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
4	विद्यालयों का भौतिक सत्यापन एवं सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करना	14 जुलाई 2017 तक	सम्बन्धित सत्यापन दल
5.	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डी.डी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना।	25 जुलाई 2017 तक	सम्बन्धित संस्था एवं सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय।
6.	मान्यताओं का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करना (माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए)।	31 जुलाई 2017 तक	जि.शि.अ. माध्य. शिक्षा कार्यालय एवं निदेशालय मा.शि., राजस्थान, बीकानेर
7.	मान्यताऐं जारी कर विद्यालयों को आदेश उपलब्ध करवाना।	4 अगस्त 2017 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
8.	मान्यता के लिए अपात्र पायी गयी संस्थाओं को सूचित करना।	10 अगस्त 2017 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय

भवदीय

(उमाशंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव